रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 1988/फाल्गुन 20, 1909
No. 111] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 1988/PHALGUNA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 4/11/88 INDIA

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1988

अधिसूचना

सा. का. नि. 336(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचिन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कोचिन पोर्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 1988 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. पी. आर.-12016/14/87-पी. ई.-I]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचिन पोर्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1964 का संशोधन करने के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बशर्ते पर बनाती है तथा उक्त विनियम की धारा 124 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रकार उसी का प्रकाशन किया जाता है।

कोचिन पोर्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 1988

1. (1) इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 1988 है ।

2. कोचिन पोर्ट कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1964 में (इसके आगे उक्त विनियम के नाम से निर्दिष्ट) विनियम 5 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5 हकदारी

(1) स्वस्थल/भारत के कोई भी प्रदेश जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के लिए हर एक कर्मचारी हकदार है और संपूर्ण

हुई के लिए वास्तविक भाड़ा बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्त किया जाएगा। सभी मामलों में, यात्रा स्वस्थल और वापस या भारत के कोई प्रदेश और वापसी बाहरी एवं वापसी दोनों यात्राओं के लिए दी जाए । एक कर्मचारी के सम्बन्ध में या उसके परिवार के सम्बन्ध में यात्रा का मुख्यालय या मुख्यालय में होने की जरूरत नहीं है । लेकिन वास्तविक रूप से हुई यात्रा के लिए ग्राह्य राशि ही ग्राह्य सहायता होगी तथा यदि मुख्यालय से कर्मचारी के स्वस्थल तक या भारत में किसी जगह तक जो भी हो यात्रा हुई होगी तो ग्राह्य राशि तक सीमित होगी है।

(2) एक कर्मचारी उच्चतर या निम्नतर श्रेणी में यात्रा करे, लेकिन बोर्ड की सहायता वास्तविक रूप से उपयोग की गयी ग्राह्य श्रेणी या निम्नतर श्रेणी जो भी हो, के वास्तविक भाड़ा को सीमित हो जाएगा जो कर्मचारी के लिए हकतरफी दर और उसके परिवार के हर एक सदस्य जो हकदार है, के लिए संपूर्ण भाड़ा देय है और पांच एवं बारह वर्ष के बीच की आयुवाले बालकों के लिए जिनको आधा भाड़ा देय है, आधा भाड़ा दिया जाएगा"।

3 उक्त विनियमों में, विनियम 6 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"6. परिवार का निर्वचन —

परिवार शब्द का अर्थ यह है कि कर्मचारी के साथ रहने वाले पत्नी/पति जो भी हो, तथा धर्मज संतान एवं सौतेला संतान जो कर्मचारी के साथ रहते है और उन पर पूर्णत: आश्रित है। इसके अलावा यदि माता पिता, बहन एवं अवस्यक भाई कर्मचारी के साथ रहते हैं और उस पर पूर्णत: आश्रित है तो वे भी इसमें शामिल हैं । जहा कर्मचारी का पति/पत्नी भी बोर्ड की सेवा/राज्य या केन्द्रीय सरकारी विभागो/सार्वजनिक विभागों निगम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय आदि मे काम करता है और वहा छुट्टी यात्रा रियायत सुविधायें उपलब्ध है तो पति या पत्नि के वेतन के अनुसार रियायत परिवार का ग्राह्य हो जाएगी, दोनों वेतन के अनुसार नहीं

नोट. (1) इन विनियमो के उद्देश्यो के लिए "परिवार" शब्द मे एक से अधिक पत्नी को शामिल नहीं किया गया है ।

(2) यदि कर्मचारी के वैयक्तिक विधि के अन्तर्गत स्वाभाविक बच्चे को दत्तक पर प्रदत्त रूप में दत्तक विधान कानूनी तौर पर मान्यताप्राप्त है तो एक वास्तविक सन्तान को धर्मज सन्तान के रूप मे समझा जाएगा ।"

4. उक्त विनियमों में, विनियम 9 मे,

(1) उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) एक कर्मचारी द्वारा की गई घोषणा की यथायता के बारे में प्रत्येक संदर्भ में खुद अपने को संतुष्ट करने के बाद तथा आवश्यक साक्ष्य के लिए पूछने के बाद रियायत के लिए मंजूरी देने योग्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा वह घोषणा स्वीकार होने का है । स्वस्थल की घोषणा की प्रभाव तारीख वही होगी जब कर्मचारी ने घोषणा की थी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति या ऐसी स्वीकृति/समुचित करने की तारीख नहीं है।"

(2) उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(4) स्वस्थल की घोषणा का परिवर्तन करने के लिए एक अवसर के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा के बाद की गयी स्वस्थल की घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए जाएं तथा यही स्वस्थल की अंतिम घोषणा मानी जाएगी, तथा ऐसे संदर्भ में स्वस्थल का और एक परिवर्तन नहीं माना जाएगा ।"

(3) उप-विनियम (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) अपने नियंत्रण के अधीन काम करने वाले कर्मचारियो के स्वस्थलों के बारे में एक रजिस्टर रियायत के लिए मंजूरी देने योग्य सक्षम प्राधिकारी अपने सुविधानुसार रख सकते है ।"

5. उक्त विनियमों में, विनियम 10 में,

(1) उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) एक कर्मचारी या उसके परिवार सदस्य छुट्टी यात्रा रियायत के संयोजन में रेल प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित कोई रियायती, वापसी यात्रा टिकटों (जैसे मौसमी रियायत, विद्यार्थी रियायत आदि) का उपयोग कर सकते है । ऐसी रियायती टिकट का उपयोग करते हुए हकदारी श्रेणी से उच्चतर या निम्नतर श्रेणी में यात्रा करना मंजूर किया जाएगा । ऐसे सन्दर्भ में, स्वस्थल या इंडिया में कोई भी स्थल जाने की यात्रा के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि मुख्यालय तथा भारत में कोई जगह के बीच में निकटतम मार्ग के लिए प्रभार की गयी रियायती भाड़ा ही होगी ।"

(2) उप विनियम 3 के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) एक कर्मचारी जो साधारणतया प्रथम या द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने का हकदार है रियायत का उपयोग करते हुए तीसरी श्रेणी डीलक्स वातायान गाड़ियों में यात्रा कर सकता है । ऐसे सन्दर्भ में तीसरी श्रेणी भाड़े पर उद्ग्रहण होने वाला अधिप्रभार बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से वहन किया जाएगा ।

(3) उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) जब एक कर्मचारी या उसके परिवार के कोई सदस्य लंबे मार्ग में रेल खंड के दो विभिन्न श्रेणियों में (जो सस्ता नहीं है) यात्रा करता है उदाहरणार्थ पाक्षिक रूप में जिसके लिए वह हकदार है तथा पाक्षिक रूप से तीसरी श्रेणी में यात्रा करता है तो हकदारी श्रेणी की दर के अनुसार निकटतम तथा सस्ते मार्ग के लिए तथा निम्नतर श्रेणी दर के अनुसार बाकी मील दूरी ग्राह्य होगा।"

(4) उप-विनियम (7) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) जहा एक कर्मचारी या उसका परिवार या दोनों वायु या सड़क या स्टीमर द्वारा रेल से संबद्ध दो जगहो के बीच यात्रा करते है तो बोर्ड की सहायता पर व्यय उतना होगा कि यदि कर्मचारी या उसका परिवार रेल द्वारा प्राधिकृत श्रेणी

में यात्रा किया तो वास्तविक रूप से जितना व्यय हुआ होगा। सड़क यात्रा के लिए प्राइवेट कार, भाड़े पर लिया प्राइवेट वाहन, पर्यटन विकास निगम या राज्य परिवहन प्रतिष्ठानों और कर्मचारी द्वारा भाड़े पर लिये गये वाहनों जो प्राइवेट पार्टियों द्वारा भाड़े पर चलाता है, ऐसे सन्दर्भ में कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी। यद्यपि, कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के कोई सदस्य स्थानीय परिवहन प्राधिकारी/उक्त, राज्य सरकार की अनुमति से एक स्थिर भाड़े पर नियमित अवधि में एक जगह से दूसरे जगह तक परिवहन सेवा करने वाले प्राइवेट गाड़ी (बस) में यात्रा करती है तो बोर्ड की सहायता दी जाएगी।"

6 विनियम 11 के उक्त विनियमों में,

(1) खंड (1) एवं (2) को छोड़कर उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(1) रेल द्वारा असंबद्ध स्थलों के बीच यात्राओं के लिए बोर्ड की सहायता कर्मचारियों को निम्न प्रकार ग्राह्य होगा :—

(2) उप-विनियम (1) में, उप खंड (अ) एवं (आ) को छोड़कर उप खंड (1) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(1) पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम एवं अन्य सरकारी या स्थानीय निकाय द्वारा आयोजित परिवहन सेवायें आदि द्वारा प्रचलित मान्य लोक परिवहन पद्धति में आवृत्त यात्रा के लिए बोर्ड की सहायता उस पद्धति द्वारा वास की उचित श्रेणी के लिए प्रभार की गयी वास्तविक भाड़ा के आधार पर हो जाएगा। जहां एक से ज्यादा वास की श्रेणी है वहां उचित श्रेणी निम्न प्रकार निर्णय किया जाए।"

(3) उप खंड (आ) के नीचे, उप-विनियम (1) के अन्तर्गत खंड (1) में "स्पष्टीकरण" के रूप में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण :—"मान्यताप्राप्त सार्वजनिक परिवहन योजना" का अर्थ यह है कि पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम और भाड़े पर अन्य सरकारी या स्थानीय निगमों द्वारा संचालित वाहन जिसमें, स्थानीय परिवहन प्राधिकारी/उक्त राज्य सरकार के अनुमति से एक स्थिर भाड़े पर एक जगह से दूसरे जगह तक नियमित अवधि में नियमित परिवहन सेवा करने वाले प्राइवेट वाहन भी शामिल है।"

(4) उप-विनियम (1) के उप खंड (2) एवं "दोनों कार्यों में" से शुरू होकर "भाड़ा देय है" में समाप्त होने वाले पैरा काट दिया जाएगा।

(5) उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(2) रेल द्वारा असंबद्ध जगहों के संदर्भ में जहां वैकल्पिक यात्रा सुविधा उपलब्ध न हो या ज्यादा खर्चीला हो कर्मचारी स्टीमर या वायु द्वारा यात्रा कर सकता है। ऐसे सन्दर्भ में निकटतम पोर्ट की ओर जल-भूतल यात्रा सामान्य छुट्टी रियायत नियमों के आधार पर विनियमित की जाएगी और समुद्री यात्रा एस.आर. 40 के उपबन्धों के आधार पर विनियमित की जाएगी।"

(6) उप-विनियम (2) के बाद उप-विनियम (3) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

"(3) जहां एक कर्मचारी या उसका परिवार या दोनों वायु या सड़क या स्टीमर द्वारा रेल से संबद्ध दो जगहों के बीच यात्रा करते हैं तो बोर्ड की सहायता कर्मचारी के लिए इकतरफा दर पर वास्तविक भाड़ा के आधार पर तथा उसके परिवार के प्रत्येक हकदार सदस्य जिसके लिए पूरा भाड़ा देय है तथा उसे 12 वर्षों की आयु के बच्चे जिनके लिए आधा भाड़ा देय दी जाएगी

7. उक्त विनियमों में परन्तुक एवं स्पष्टीकरण को छोड़कर विनियम 13 के लिए निम्न लिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"13. सबसे छोटे मार्ग के आधार पर रियायत :—

कर्मचारी या परिवार के सदस्य कोई मार्ग में यात्रा कर सकते हैं या स्वस्थल भारत में कोई प्रदेश जो भी हो जाते समय या आते समय कोई न कोई जगह पर रुक सकते है लेकिन कर्मचारी के मुख्यालय—स्वस्थल भारत के कोई प्रदेश जो भी हो, के बीच की रेल भाड़ा के लिए निकटतम मार्ग पर "टिकट के आधार पर" बोर्ड की सहायता सीमित रहेगी।"

8. उक्त विनियमों में विनियम 14 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"14. भारित मील दूरी की यात्रायें :—

यदि स्वस्थल/भारत के किसी जगह की छुट्टी यात्रा के एक भाग या पूरी यात्रा के लिए कल्पित या भारित मील दूरी (जैसे कि कन्फेमिल्स अनुभाग) या फुलाए हुए दरों (जैसे कि मिलपुरी-दार्जिलिंग अनुभाग) के आधार पर भुगतान करना है बाहरी एवं वापसी यात्रा के लिए कर्मचारी के मुख्यालय के निकटतम रेलवे स्टेशन से उसके स्वस्थल/भारत के कोई प्रदेश तक वास्तविक रेल भाड़ा (यात्रा कर मिलाकर) की प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारी हकदार होगा

9. उक्त विनियमों में विनियम 16 के उप-विनियम (1) स्पष्टीकरण के साथ के लिए निम्नलिखित उप-विनियम एवं स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

(1) जहां एक कर्मचारी छुट्टी पर स्वस्थल/भारत में कोई प्रदेश छुट्टी पर जाता है वहां से स्थानांतरण पर नए मुख्यालय जाता है तो उसकी न्यूनतम हकदारी के रूप में विनियमों के अन्तर्गत ग्राह्य स्थानांतरण यात्रा भत्ता उसको मंजूर किए जाएं इसके अतिरिक्त, स्वस्थल/भारत के किसी जगह से नये मुख्यालय जाने के सन्दर्भ में पुराने मुख्यालय से स्वस्थल/भारत के किसी जगह तथा नये मुख्यालय की दूरी ग्राह्य स्थानांतरण यात्रा भत्ता की कुल दूरी से ज्यादा होती तथा भारत में किसी प्रदेश से नये मुख्यालय की दूरी ग्राह्य स्थानांतरण यात्रा भत्ता की कुल दूरी से ज्यादा हो तो तथा भारत में किसी प्रदेश से नये मुख्यालय की दूरी ग्राह्य स्थानांतरण यात्रा भत्ता की कुल दूरी से ज्यादा है तो इन विनियमों के अन्तर्गत छुट्टी यात्रा भत्ता वहां तक मंजूर किए जाएं।"

दृष्टान्त

यदि "क" मुख्यालय, "ख" स्वस्थल एवं "ग" नया मुख्यालय है तो छुट्टी यात्रा रियायत के कारण कर्मचारी को हकदारी इतनी होगी कि (क ख दूरी + ख ग दूरी (—) ग्राह्य स्थानांतरण भत्ता की दूरी।"

10 उक्त विनियमों में परिशिष्ट II के लिए निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"परिशिष्ट—2"

एक कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

1. 19...... एवं 19......(दो वर्ष/चार वर्ष) के खंड में मेरे लिए तथा मेरे परिवार के सदस्यों के लिए अब तक छुट्टी यात्रा रियायत का कोई अन्य दावा मैंने प्रस्तुत नहीं किया।

2. मेरे/.... .....संतान के साथ मेरी पत्नी/......संतान द्वारा हुई यात्रा के सम्बन्ध में छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पहले ही मैंने यात्रा भत्ता निकाला/मेरे संतान के साथ मेरे ....द्वारा हुई यात्रा के बारे में यह दावा की गई है तथा उनमें से किसी ने इसके पहले पार्टों के साथ यात्रा नहीं की।

3. स्वस्थान/भारत के कोई प्रदेश तक यह यात्रा मेरे साथ मेरी पत्नी एवं सन्तान ने ही की है, जैसे कि.....

4. *प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति जिसके लिए मैंने छुट्टी यात्रा रियायत मांगी है, वह बोर्ड की सेवा/राज्य/केन्द्रीय सरकारी विभाग/सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/निगम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय आदि) में काम करता है जहां छुट्टी यात्रा रियायत सुविधायें उपलब्ध है, लेकिन सम्बन्धित दो वर्ष चार वर्ष के खंड में अलग रूप से अपने लिए या परिवार के कोई सदस्य के लिए उनके द्वारा रियायत का उपयोग नहीं किया है और न किया जाएगा।

या

*प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति जिसके लिए मैंने छुट्टी यात्रा रियायत मांगी है, वह बोर्ड की सेवा/कोई राज्य/केन्द्रीय सरकारी विभाग/कोई सार्वजनिक प्रतिष्ठान/निगम स्वायत्त निकाय जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा रुपया लगाया गया है या एक स्थानीय निकाय, जो अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को छुट्टी यात्रा रियायत उपलब्ध करती है, के कर्मचारी नहीं है।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

(*) "जो लागू नहीं" भाग काट देना

11 उक्त विनियमों के विनियम 25 में उप-विनियम (ज) के बाद निम्नलिखित विनियम अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात :—

"(1) यदि एक कर्मचारी उप-विनियम (ङ) में निर्धारित व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता है तो पेशगी के रकम के साथ, इसके वितरण तारीख से, वाहन खरीदने के पेशगी के लिए लागू होने वाले ब्याज सहित (मोटर कार से अलग) निर्धारित ब्याज दर के ऊपर 2-1/2 प्रतिशत कानूनी ब्याज देना पड़ेगा।"

पाद-टिप्पणी :— जी ए० आर सं. 312 दिनांक 29-2-1964 के अनुसार मुख्य विनियम राजपत्र में प्रकाशित की गई है तदनन्तर निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अनुसार इन विनियमों का संशोधन किया गया है :—

1. सं. पी./ओएम/59/67 दिनांक 18-11-1967 दिनांक 5-12-1967 के केरल राजपत्र में प्रकाशित

2. सं. पी/ओ एम/32/74 दिनांक 10-6-1976, दिनांक 22-6-1976 के केरल राजपत्र में प्रकाशित

3 सं. पी/1771 (II)/77 दिनांक 5-7-1977 दिनांक 26-7-77 के केरल राजपत्र में प्रकाशित।

4. सं. पी. ई. एक्स.-66/77 दिनांक 29-10-77 जी. एस. आर. 1581 दिनांक 19-11-1977

5. सं. पी. ई. एस०.-34/78 दिनांक 7-7-1978 जी. एस० आर. सं. 963 दिनांक 29-7-1978

6. सं. पी. ई. एक्स. 30/79 दिनांक 7-7-79— जी. एस. आर. सं. 973 दिनांक 21-7-1979

7. सं. पी डब्ल्यु/पी ई एक्स०-29/79 दिनांक 20-3-81— जी. एस. आर. सं. 446 दिनांक 2-5-1981।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 10th March, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 336(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees' (Leave Travel Concession) Amendment Regulations, 1988 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016|14|87-PE.I]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Cochin Port Trust hereby makes the following regulations to amend The Cochin Port Employees' (Leave Travel Concession) Regulations, 1964.

THE COCHIN PORT EMPLOYEES (LEAVE TRAVEL CONCESSION) AMENDMENT REGULATIONS, 1988

I. (1) These regulations may be called "The Cochin Port Employees (Leave Travel Concession) Amendment Regulations, 1988"

II. In the Cochin Port Employees (Leave Travel Concession) Regulations, 1964 (hereinafter referred to as the 'said Regulations'), for Regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely :—

"5. Entitlement

(1) Every employee shall be entitled to Leave Travel Concession for visiting his|her home town|any place in India and the Board shall reimburse the actual fares in full for the entire distance. In every case,

the journey should be to the 'home town' and back or to 'any place in India' and back, as the case may be, and the fare should be for both outward and return journeys. The journey need not necessarily commence from or end at the headquarters of an employee either on his/her own case or in the case of his/her family. But the assistance admissible shall be the amount admissible for the actual distance travelled, limited to the amount that would have been admissible had the journey been performed between the headquarters and the home town of the employee or any place in India, as the case may be.

(2) An employee may travel in any class, higher or lower, but the Board's assistance shall be limited to the actual fare for accommodation by the entitled class or lower class, as the case may be, to the extent actually used, at single rate for the employee himself/herself and each entitled member of his/her family for whom full fares are payable and at half the rates for children between the ages of five and twelve years for whom half fares are payable."

III. In the said regulations, for Regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely :—

"6. Definition of family :—

The term "family" means an employee's wife or husband, as the case may be, residing with the employee, and legitimate children and step cheldren residing with, and wholly dependent upon the employee. It includes in addition, parents, sisters, and minor brothers, if residing with and wholly dependent upon the employee. Where the spouse of an employee is also employed in the Board's service/State or Central Government departments/Public Sector Undertakings/Corporations/Autonomous Bodies/Local Bodies etc. which provide Leave Travel Concession facilities, the claim for the concession shall be preferred by one of them only and not both and the concession shall be admissible to the family on the scale admissible to the husband or wife, as the case may be.

Note :

(1) Not more than one wife is included in the term 'family' for the purposes of these regulations.

(2) An adopted child shall be considered to be a legitimate child if, under the personal law of the employee, adopted is legally recognised as conferring on it the status of a natural child."

IV. In the said regulations, in Regulation 9,

(1) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) The declaration made by an employee shall be subject in each case to the acceptance by the Authority competent to sanction the concession who shall satisfy himself about the correctness thereof after calling for such evidence as he may consider necessary. The effective date of declaration of home town shall be the date on which the employee made it and not the date of its acceptance by the competent authority or the date of communication conveying such acceptance."

(2) for sub-regulation (4), the following sub regulation shall be substituted, namely :—

"(4) The declaration of home town made after the prescribed time limit may be accepted by the authority competent to sanction the concession, against the one chance for changing the declaration of home town and this shall be treated as a final declaration of home town and no further change of home town shall be allowed in such case."

(3) for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(5) The authority competent to sanction the concession shall maintain a register of home towns in respect of the employees under his control"

V. In the said regulations, in Regulation 10,

(1) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) An employee or members of his/her family may avail of any concessional return journey tickets offered by the railway authorities (i.e. seasonal concession, student's concession, etc.) in conjunction with the leave travel concession. It will be permissible while utilising such a concessional ticket to travel in any class, higher or lower than the entitled class. In such cases, both in respect of journeys to 'Home Town' and 'any place in India', the amount reimbursable shall be the fare for the shortest route between the headquarters and 'home town'/'any place in India', as the case may be, calculated on the basis of the concessional fare charged."

(2) for sub-regulation 3, the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(3) An employee who is normally entitled to travel by the first class or second class, may travel by 3rd class in the delux air-conditioned train while availing himself/herself of the concession. The cost on account of the surcharge over the third class fare which is levied in such a case shall be borne by the Board in full."

(3) for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(6) when an employee or any member of his|her family performs the journey by a long route (which is not the cheapest) in two different classes of railway accommodation, for example, partly by second class to which he|she is entitled and partly by third class, the entitled class rate is admissible for the corresponding proportion of the shortest or the cheapest route and the lower class rate for the remaining mileage by such route."

(4) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(7) where an employee or his|her family or both travel (s) by air or by road or by steamer, between two places connected by rail the Board's assistance shall be limited to what would have been admissible had the employee or his|her family travelled by rail in the authorised class or the actual expenses, whichever is less. In the case of travel by road, no assistance shall be allowed for journeys performed by private cars, private chartered vehicles, vehicles taken on hire by private parties from Tourism Development Corporations or State Transport Corporation or Transport undertakings of Local Bodies and run on charter by such private parties and vehicles owned or borrowed or hired by the employees of the Board|Government Servants. However, Board's assistance shall be allowed in case the employee or any member of his|her family performs the journey by private buses operating as regular transport service from point to point (as distinct from private chartered buses) at regular intervals on fixed fare rates, with the approval of the Regional Transport Authority|State Government(s) concerned."

VI. In the said regulations, in Regulation 11,

(1) for sub-regulation (1) excluding clauses (i) and (ii), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(1) The Board's assistance for journeys between places which are not connected by rail shall be admissible to the employees as under :—"

(2) in sub-regulation (1), for clause (i) excluding sub-clauses (a) and (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(1) for the journey which is covered by a recognised public transport system operated by Tourism Development Corporations, State Transport Corpoprations and Transport services run by other Government or local bodies, the Board's assistance shall be allowed on the basis of the fares actually charged by such a system for the appropriate class of accommodation. Where there are more than one class of accommodation, the appropriate class may be determined as follows :—"

(3) in clause (i) under sub-regulation (1), below sub-clause (b), the following shall be inserted as "explanation", namely :—

"Explanation :—

The term "recognised public transport system" means vehicles operated by Tourism Development Corporations, State Transport Corporations and Transport services run by other Government or Local Bodies otherwise than on Charter and includes private buses operating as regular transport service from point to point (as distinct from private chartered buses) at regular intervals on fixed fare rates, with the approval of the Regional Transport Authority|State Government (s) concerned."

(4) Sub-Clause (ii) of sub-regulation (1) and the Para beginning with "In either case" and ending with "Fares are payable", thereunder, shall be deleted.

(5) for sub-regulation (2) the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) In respect of places which are not connected by rail, the employee may travel by steamer or air where an alternative means of travel is either not available or is more expensive. In such cases, the surface journey to the nearest Post shall be regulated under the normal Leave Travel concession rules and the sea passage shall be regulated in accordance with the provisions of SR 40."

(6) After sub-regulation (2) the following shall be added as sub-regulation (3).

"(3) where an employee or his|her family or both travel (s) by air or road or|steamer between two places not connected by rail, Board's assistance shall be allowed on the basis of actual fares at single rate for the employee himself|herself and each entitled member of his|her family for whom full fares are payable and at half the rates for children between the ages of five and twelve years for whom half fares are payable."

VII. In the said regulations, for Regulation 13 excluding provison and explanation, the following regulation shall be substituted, namely :—

"13. Concession based on shortest route :—

The employee or his|her family may travel by any route or halt anywhere on the way to or from home town|any place in India, as the case may be, but the Board's assistance for the cost of railway fare between the Employee's headquarters and his|her home town|place in India as the case may be, shall be limited to the fare, by the shortest route calculated on a 'through' ticket basis."

VIII In the said Regulations, for regulation 11 the following regulation shall be substituted, namely :—

"11. Journeys of weighted Mileage :—

If for a part or for the entire Leave Travel journey to the home town|any place in India, an employee has to pay railway fare on the basis of an assumed or weighted mileage (as for example, on the Kalka-Simla Section) or at inflated rates, (for example, on the Siliguri-Darjeeling Section), the employee concerned shall be entitled to reimbursement of the actual railway fare (inclusive of passenger tax) from the railway station nearest to his headquarters to his home town|any place in India for both the outward and return journeys."

IX In the said regulation, in regulation 16, for sub-regulation (1) including illustration, the following sub-regulation and illustration shall be substituted, namely :—

"(1) Where an employee going to home town|any place in India on Leave proceeds therefrom on transfer to the new headquarters, he|she may be allowed as his|her minimum entitlement, Transfer Travelling Allowance admissible under the rules. He|She may be allowed, in addition, leave travel concession under these regulations, to the extent the distance from the old headquarters to the home town|any place in India and from the home town|any place in India to the new head quarters exceeds the total distance for which Transfer Travelling Allowance is admissible.

Illustration :

If 'A' is the old headquarters, 'B' home town|any place in India and 'C' the new headquarters, the entitlement of the employee on account of leave travel concession will be (distance AB plus distance BC) minus distance for which Transfer Travelling Allowance is admissible."

X In the said regulation, for Appendix-II, the following Appendix shall be substituted, namely :—

"APPENDIX-II

CERTIFICATE TO BE GIVEN BY AN EMPLOYEE

1. I have not submitted any other claim so far for Leave Travel Concession in respect if myself or the members of my family in respect of the block of two years|four years 19 — 19

2. I have already drawn T. A. for the Leave Travel Concession in respect of a journey performed be me|my wife with .....children. This claim is in respect of the journey performed by my wife|myself with children none of whom travelled with the party on the earlier occasion.

3. The journey has been performed by me|my wife with children to the declared home town|any place in India, viz.. .....

4. Certified that my wife|husband for whom Leave Travel Concession is claimed by me is employed in the Board's service ..... (Name of the State|Central|Government Department|Public Sector Undertaking|Corporation Autonomous Body|Local Body etc.) which provides leave travel concession facilities, but she|he has not preferred and will not prefer, any claim on this behalf to her|his employer during any year of the concerned block of 2 years|4 years as the case may be seperately for himself|herself or any member(s) of the family.

OR

*Certified that my wife|husband for whom Leave Travel Concession is claimed by me is not employed in the Board's service|any State|Central Government Department|any Public Sector Undertaking|Corporation|Autonomous Body financed wholly or partly by the Central Government or a Local Body which provides Leave Travel Concession facilities to its employees and their families.

Signature of the Fmployee."

*Strike out the portion not applicable.

XI. In the said regulations, in Regulation 25, after sub-regulation (h), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(i) If an employee violates the conditions specified in sub-regulation (e), the amount of advance shall, from the date of its disbursement, carry interest as applicable to advances for the purchase of Conveyances (other than motor car) plus penal interst at 2-1|2 percent over and above the prescribed rate of interest."

FOOT NOTE : The Principal regulations were published in the Gazette of India vide GSR No. 312 dated 29-2-1964. The regulations were subsequently amended vide the following Notifications :—

1. No. P|OM|59|67 dated 18-11-67, published in the Kerala Gazette dated 5-12-1967.
2. No. P|OM|32|74 dated 10-6-76, published in the Kerala Gazette date 22-6-1976.
3. No P2|1771 (II)|77 dated 5-7-1977, published in the Kerala Gazette date 26-7-1977.
4. No. PEX-66|77 dated 29-10-77-G.S.R.No 1581 dated 19-11-1977.
5. No. PEX-34|78 dated 7-7-78 G.S.R. No. 963 dated 29-7-1978.
6. No. PEX-30|79 dated 7 7-1979-G.S.R. No. 973 dated 21-7-1979.
7. No. PW|PEX-29|79 dated 20-3-1981-G.S R. No. 446 dated 2-5-1981.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988